न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 39/2021 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2021/110

प्रेमशंकर पिता भगवानलाल जाति मीणा आयु 44 वर्ष निवासी कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा राज0।

–प्रार्थी

//बनाम//

1. श्री राधेश्याम पिता भगवानलाल जाति मीणा आयु 44 वर्ष निवासी कोटड़ीकलां निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा राज0।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :– 1– श्री अनुराग ओझा – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री शम्भुलाल तेली – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01

:: निर्णय :: दिनांक :– 02.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवान का अर्न्तगत धारा 88, 188, 53 का वाद पेश कर दिया हैं, जो ठोस तथ्यों पर आधारित है जो आगे चलकर अवश्य डिक्री होगा ऐसी पूरी सम्भावना है।

2. वाके मौजा कोड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा की आराजियात जिसके खाता संख्या 220 की आराजी नम्बर 380 रकबा 0.6600 हैक्टेयर लगानी 0.66 पैसा, इसी प्रकार खाता संख्या 218 की आराजी नम्बर 1129/15 रकबा 0.2200 हैटेयर लगानी 4.18 रूपये, आराजी नम्बर 14 रकबा 0.2100 हैक्टेयर लगानी 3.99 रूपये कुल किता– 2 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर कुल लगानी 8.[illegible], इसी प्रकार खाता संख्या 219 की आराजी नम्बर 1023/563 रकबा 0.[illegible] हैक्टेयर लगानी 10.08 रूपये, आराजी नम्बर 1128/13 रकबा [illegible] हैक्टेयर [illegible] 3.23 रूपये कुल किता–2 कुल रकबा 0.4100 हैक्टेयर कुल लगानी 13.3100 रूपये, इसी प्रकार खाता संख्या 391 की आराजी नम्बर 1035/15 रकबा 0.04[illegible] हैक्टेयर लगानी 0.76 [illegible] आराजी नम्बर 15/966 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल लगानी 0.7600 रूपये, इसी प्रकार खाता संख्या 389 की आराजी नम्बर 565 रकबा 0.0800 हैक्टेयर स्थित है, इसी प्रकार खाता संख्या 92 की आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

286/40 रकबा 1.1600 हैक्टेयर स्थित है। जो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता स्व0 श्री भगवानलाल मीणा की खातेदारी में दर्ज है भगवानलाल की मृत्यु अभी हाल ही में दिनांक 28.01.2021 को हो चुकी है। जिनके वारिस प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 है।

3. खाता संख्या 218, 219, 220 ग्राम कोटड़ीकलां एवं खात संख्या 92 ग्राम कमलाहेड़ा में वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 ने अपने पिता भगवानलाल ने अपने जीवन काल में ही अपने दोंनों पुत्रों के मध्य चरण संख्या 1 में वर्णित सम्पत्ति का मौखिक रूप से विभाजन कर दिया था एवं भगवानलाल के जीवन काल में ही प्रार्थी, विपक्षी क्रमांक 1 अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे परन्तु विपक्षी क्रमांक 1 जो वादी का बड़ा भाई है को रूपयों की आवश्यकता होने से उसने ढावें वाले खेत जो ग्राम कोटड़ीकलां में स्थित है में अपना हिस्सा 52500/– रूपये अक्षरे बावन हजार पांच सौ रूपये में प्रार्थी को रूबरू गवाहन दिया साथ ही कुंए का हिस्सा खड़े वृक्ष व बिजली का कनेक्शन भी प्रार्थी को सिपुर्द कर उक्त ढावे वाली जमीन कुलिया 2 बीघा 10 बिस्वा थी में विपक्षी क्रमांक 1 का सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा दिनांक 27.07.1998 को प्रार्थी से 52500/–रूपये प्राप्त कर सिपुर्द कर दिया तब से प्रार्थी उक्त आराजियात पर काबिज काश्त है। इसी प्रकार दिनांक 28.12.2017 को 1 लाख रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर आम्बे वाले कुंए में अपना हिस्सा भी प्रार्थी को सिपूर्द कर दिया आम्बे वाले कुंए का कुल रकबा 18 बिस्वा था चूंकि विपक्षी क्रमांक 1 ने आराजी नम्बर 1022/289 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1025/280 रकबा 0.0300 हैक्टेयर जो दिनांक 21.07.2014 को अपने पिता के जीवन काल में गिरधारी पिता भाना मीणा को अपना हिस्सा विक्रय कर विक्रय धन प्राप्त कर लिया था जिस पेटे प्रार्थी को उक्त आम्बे वाले कुंए की 18 बिस्वा की जमीन जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थी 1/2 हिस्सा विपक्षी क्रमांक 1 का था को 1 लाख रूपये प्राप्त कर प्रार्थी को अपना हिस्सा सिपुर्द कर दिया था तभी से प्रार्थी उक्त सम्पूर्ण आराजियात पर भी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे।

4. चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्यों से प्रार्थी विपक्षी क्रमांक 1 एवं इनके पिता भगवानलाल सभी पक्ष सहमत थे तथा पिता की सहमति से ही दोनों भाईयों ने चरण संख्या 2 में वर्णित अनुसार संव्यवहार किया उक्त संव्यवहार के अनुरूप प्रार्थी उक्त हिस्सों पर आज भी काबिज है तथा उक्त बयनामों के आधार पर उक्त भूमियों में वर्णित अपने पिता का सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रार्थी के पिता भगवानलाल की मृत्यु अभी हाल ही में दिनांक 28.01.2021 हो गई है उनकी मृत्यु होने के बाद [illegible] से बदल गये तथा वह पूर्व में हुए बयनामें को इन्कार करते हुए भगवानलाल के समस्त हिस्सों में अपना 1/2 हिस्स दर्ज कराना चाहता है तथा अपना 1/2 हिस्सा दर्ज करा कर उसको खुर्द बुर्द करना चाहता है जब प्रार्थी को उक्त तथ्यों की जानकारी हुई तो प्रार्थी ने अपने बड़े भाई विपक्षी क्रमांक 1 से पूर्व हुए बयनामों बाबत् दिनांक 27.07.1998 एवं 28.12.2017 के अनुसार ढावे वाले कुंआ की भूमि व आम्बे वाले कुंआ की भूमि प्रार्थी ने अपने नाम कराने को कहा तो विपक्षी क्रमांक 1 आग बबूला हो गया तथा प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:34 IST
Reason: SelfAttested

के हक हिस्से से इंकार कर दिया तब प्रार्थी द्वारा दोनों लिखा पढ़ी गांव के मौतबीर लोगों को बताई तो प्रार्थी को पता चला की विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी के साथ कपट किया तथा दोनों ही लिखा पढ़ी ढावे वाले कुएं की कर दी परन्तु कब्जा प्रार्थी को पूर्व में तय अनुसार दोनों भूमियों का पृथक पृथक दिया जिस पर प्रार्थी आज भी काबिज है चूंकि प्रार्थी कम पढ़ा लिखा एवं विपक्षी क्रमांक 1 बचपन से नियाहीति चालक एवं होशियार किस्म का व्यक्ति है जिसने प्रार्थी के भोलेपन का फायदा उठाते हुए प्रार्थी के साथ यह छल किया एवं अपने पिता भगवानलाल की मृत्यु के बाद भूमि प्रार्थी के नाम से कराने से भी इंकार कर दिया एवं चाही की जमीन में हिस्सा देने से भी इंकार कर दिया व अन्य विपक्षीगणों को भी बहला फुसला दिया जिससे वे प्रार्थी को अपने हिस्से को सिंचित करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे है और वादग्रस्त भूमि के स्वरूप को परिवर्तित कर रहन बय बक्षीश के माध्यम से उक्त भूमि को आन्तरित करने पर आमदा हो रहे है यदि विपक्षी अपने मनसूबे में सफल हो गया तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करना ही असफल हो जायेगा इसलिए विपक्षीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावें की विपक्षीगण प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें न ही किसी अन्य से करावें रहन बय बक्षीश के माध्यम से किसी अन्य को भूमि आन्तरित नहीं करें न ही करावें मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार निम्बाहेड़ा प्रकरण में अपना जवाब नहीं देना चाहते है इसलिए विपक्षी संख्या 2 का जवाब बन्द किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भुलाल तेली मूलवाद में अधिकार पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और अपने जवाब प्रार्थना पत्र में में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात वाके मौजा कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित होना स्वीकार है जो की प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता भगवानलाल मीणा की खातेदारी में दर्ज है और भगवानलाल मीणा की मृत्यु होना एवं प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 वारिस होना स्वीकार एवं विरासत से अभी आराजियात का नामान्तरकरण नहीं खुला है। इस प्रकार सम्पूर्ण चरण स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 अपने पिता के समय से मौखिक विभाजन अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा [illegible] ने मौजा कोटड़ीकलां के ढावे वाले खेत में से 25 आरी यानि एक बीघा जमीन वि[illegible] 1 को 52500/– रूपये में प्रार्थी को कुंए का हिस्सा सहित का कब्जा दिया [illegible] बाद में उक्त आराजियात का रकबा बढाया जाकर 0.42 हेक्टेयर भूमि [illegible] राशि कुल 100000/–रूपये तय की गई और जिसका इकरारनामा विक्रय [illegible]राजी का विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 28.12.2017 को रूबरू गवाहन निष्पादित किया, जिसमें से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 को 70000/–रूपये अक्षरे सत्तर हजार रूपये अदा किये एवं शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

30000/– रूपये के लिये यह शर्त हुई की जब भी क्रेता रजिस्ट्री करायेगा तब उक्त बकाया राशि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी से प्राप्त करेगा, परन्तु अभी तक जमीन विरासत से प्रार्थी एवं विपक्षी सख्या 1 के नाम नामान्तरित नहीं हुई है, इसलिए रजिस्ट्री कराना संभव नहीं हैं, तथा इसके बाद दिनांक 15.11.2022 को प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के बीच आपसी सहमति से राजीनामा अनुबन्ध तय हुआ उसके अनुसार प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 के मांगते पेटे 100000/–रूपये की राशि दिनांक 30.04.2023 तक बिना ब्याज के अदा करने का तय किया, और प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 ने अपने अपने हस्ताक्षर किये और इकरारनामा को नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराया गया, लेकिन प्रार्थी की नियत में बदयन्ति आ जाने से उसके द्वारा उक्त 100000/–रूपये अक्षरे एक लाख रूपये की राशि विपक्षी संख्या 1 को आज दिनांक तक अदा नहीं की गई है और न्यायालय को गुमराह करके उक्त प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर पेश किया गया और उक्त इकरार के तथ्यों को भी प्रार्थी ने छुपाया हैं। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 को 100000/–रूपये की राशि अदा ही नहीं करना चाह रहा है और असत्य आधारों पर यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा इस चरण में शेष तथ्य जो वर्णित किये है वो आधारहीन हाने से स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थी स्वयं सावित करें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य जिस तरह से प्रार्थी ने वर्णित किये है वो स्वीकार नहीं है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 मौके पर बाहमी तौर से बंटवारा कर अपने अपने हक हिस्से की जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी के साथ कोई छल व धोखा नहीं किया है, विपक्षी संख्या 1 अपने इकरार से नहीं मुकर रहा है बल्कि प्रार्थी अपने इकरा से मुकर रहा है और वह विपक्षी संख्या 1 को तयशुदा 1 लाख रूपये की राशि अदा नहीं करना चाह रहा है और न्यायालय में समक्ष समझौता अनुबन्ध दिनांक 15.11.2022 के तथ्यों को छुपा कर न्यायालय को गुमराह कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है और उक्त 1 लाख रूपये समझौता अनुसार दिनांक 30.04.2023 को अदा करनी थी लेकिन प्रार्थी ने आज तक कोई राशि अदा नहीं की है। तथा विरासत से अभी तक प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज ही नहीं हुई तो रजिस्ट्री कराना संभव नहीं है। प्रार्थी रजिस्ट्री का खर्च बचाकर राजस्व को हानि पहुंचाना चाहता है इसलिए गलत तथ्यों का सहारा लेकर यह दावा व प्रार्थना पत्र लेकर आया है और प्रार्थी इस वाद व प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। सही तो यह है कि यह दावा व प्रार्थना पत्र अनुबन्ध की पालना का है जो कि सिविल प्रकृति का है और प्रार्थी ने यह दावा व प्रार्थना पत्र राजस्व न्यायालय में असत्य आधारों पर पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है और सहखातेदारों में आपस में खातेदारी घोषणा का कोई नियम लागू नहीं होता है और प्रार्थी किस [illegible] खातेदारी घोषणा कराना चाहता है इसका वाद व प्रार्थना [illegible] क्योंकि प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 के हक हिस्से की जमीन की खरीदी है और [illegible] के मध्य विक्रय अनुबन्ध तय हुआ है और अनुबन्ध की पालना [illegible] सिविल न्यायालय में ही हो सकती है और उसी के आधार पर रजिस्ट्री होकर जमीन की खातेदारी बदल सकती है। विपक्षी द्वारा आराजियात के स्वरूप को नहीं बदल रहा है और भूमि को रहन बय, बक्षीश व अन्य तौर से अन्तरित नहीं कर रहा है क्योंकि खाते में विपक्षी संख्या 1 का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:34 IST
Reason: SelfAttested

विरासत से दर्ज ही नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी विपक्षी के विरुद्ध किसी प्रकार से कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी नहीं है। विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में अंकित है कि न्यायालय के समक्ष समझौता अनुबन्ध दिनांक 15.11.2022 के तथ्यों को छुपा कर न्यायालय को गुमराह कर यह दावा पेश किया है और उक्त 1 लाख रूपये समझौता अनुसार दिनांक 30.04.2023 को अदा करनी थी लेकिन प्रार्थी ने आज तक कोई राशि अदा नहीं की है तथा जमीन विरासत से अभी तक प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज नहीं हुई तो रजिस्ट्री कराना संभव नहीं है और प्रार्थी रजिस्ट्री का खर्चा बचा कर राजस्व को हानि पहुंचाना चाहता है इसलिए गतल तथ्यों का सहारा लेकर यह दावा लेकर आया है और प्रार्थी इस दावे व प्रार्थना के माध्यम से कोई घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। यह दावा अनुबन्ध की पालना का है जो कि सविल प्रकृति का दावा है और प्रार्थी ने यह दावा राजस्व न्यायालय में असत्य आधारों पर पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। सहखातेदारों में आपस में खातेदारी घोषणा का कोई नियम लागू नहीं होता है और प्रार्थी किस आधार पर खातेदारी घोषणा कराना चाहता है इसका वाद में उल्लेख नहीं है। क्योंकि प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 के हक हिस्से की जमीन को खरीदी है और दोनों के मध्य विक्रय अनुबन्ध तय हुआ है और अनुबन्ध की पालना सक्षम सिविल न्यायालय में ही हो सकती है और उसी के आधार पर रजिस्ट्री होकर जमीन की खातेदारी बदल सकती है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना भी चलने योग्य नहीं हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध मय हर्जे के खारिज फरमाया जावें।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

7. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित सम्पत्ति पर प्रार्थी का कब्जा होना प्रथम शर्त है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता भगवानलाल का राजस्व रेकार्ड में हक हिस्सा दर्ज है। भगवानलाल की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरण प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 नाम नहीं खुला है। प्रार्थी प्रेमशंकर एवं विपक्षी राधेश्याम का अपने पिता की मत्यु के बाद दोनों का वादग्रस्त आराजियात में हक हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:34 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का स्वामित्व होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से को सुरक्षित रखा जाना न्याय हित में आवश्यक है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान करने के बाद वाद की बहुलता बढ़ेगी जिसे न्याय हित में रोका जाना आवश्यक है।

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को विवादित आराजी को सुरक्षित रखने का अधिकार है। क्योंकि उक्त विवादित आराजियात का बेचान होने के बाद वाद की बहुलता बढ़ने से नये पक्षकारों के आने से विवाद बढेगा जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी नम्बर 1 के बनने वाले हिस्से को सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में हैं

III. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन की प्रार्थी के पक्ष में है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता भगवानलाल का हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। भगवानलाल की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरण भगवानलाल के वारिसानों के नाम नहीं खुला है। वादग्रस्त आराजियात में भगवानलाल के हिस्से में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 दोनों का हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी ने मूल वाद में अपने हक हिस्से की घोषणा एवं बंटवारा चाहा है। उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजियात में भगवानलाल के हक हिस्से की प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 मध्य घोषणा एवं बटवारे से पहले विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजियात का बेचान किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। हक हकूक का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य एवं गवाही के उपरान्त ही हो सकेगा, तब तक वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी नम्बर 1 व 2 के पिता भगवानलाल के हिस्से को मूल वाद के निर्णय तक सुरक्षित रखाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से अनावश्यक वाद बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है। पक्षकारान के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विपक्षी को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:34 IST
Reason: SelfAttested

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा कोटड़ीकलां पटवार हल्का कोटड़ीकलां तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 220 की आराजी नम्बर 380 रकबा 0.6600 हैक्टेयर भूमि, इसी

प्रकार खाता संख्या 218 की आराजी नम्बर 1129/15 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 14 रकबा 0.2100 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि, इसी प्रकार खाता संख्या 219 की आराजी नम्बर 1023/563 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1128/13 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, कुल किता–2 कुल रकबा 0.4100 हैक्टेयर भूमि, इसी प्रकार खाता संख्या 391 की आराजी नम्बर 1035/15 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 15/966 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता–2 कुल रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि, इसी प्रकार खाता संख्या 389 की आराजी नम्बर 565 रकबा 0.0800 हैक्टेयर भूमि, इसी प्रकार मौजा कमलाहेड़ा पटवार हल्का कोटड़ीकलां की खाता संख्या 92 की आराजी नम्बर 286/40 रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि में भगवानलाल पुत्र सीताराम मीणा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से को रहन बय बक्शीश के माध्यम से किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करें न किसी अन्य से करावें एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:34 IST
Reason: SelfAttested